

टीचर की मार से कक्षा ६ का बच्चा हुआ बेहोश : स्कूल मैनेजमेंट का फूला हाथ पैर

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश
श्रीवास्तव : बच्चे के बेहोश होने की
सूचना पर परिजन लगातार स्कूल
को लगा रहे थे फोन, लापरवाह
स्कूल वालों ने नहीं उठाया परिजनों
का फोन, स्कूल की बड़ी लापरवाही
दी दिखाई, जौनपुर - थाना
सरायखाजा अंतर्गत क्षेत्र सिद्धीकपर

स्कूल वाले स्वीकार नहीं रहे हैं, श्रेयांश के बेहोशी की सूचना के लिए उसी स्कूल में पढ़ रही उसकी बड़ी बहन श्रेया के बार बार कहने के बाद स्कूल वालों ने उसके परिजनों को सूचित किया, जिन्होंने परिजनों को यह बताना उचित नहीं समझा था कि उनका बच्चा बेहोश हो गया, जिसके लगभग एक घंटे के बाद श्रेयांश के पिता अनुज सिंह एवं दादी गायत्री देवी, चाचा जयसिंह आनन फानन में स्कूल पहुँचे और देखा की रेस्टरुम में स्कूल के लोगों द्वारा उसे पानी पिलाया जा रहा था, और परिजनों ने यह भी देखा की श्रेयांश जो शर्ट पहन कर स्कूल गया था



वह शर्ट उसने नहीं पहन रखा था बल्कि स्कूल वालों ने उसे नयी शर्ट पहना दिया था, जब स्कूल पहुँचे परिजनों को श्रेयांश के साथ उसकी टीचर द्वारा सिर पर मारने की बात पता चली जिसके कारण वह बेहोशी के हालत में पहुँच गया था, तो परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से उक्त महिला टीचर से मिलने के लिए कई बार निवेदन किया गया लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ऐसी कोई घटना को मानने को मंजूर नहीं, वहीं श्रेयांश के परिजनों द्वारा उसे घर लाया गया तो वह घर आने के बाद बताने लगा की मुझे टीचर द्वारा बुरी तरह मारा था जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था, जब होश आया तो टीचर मुझसे बोली कि तुम अपने परिजनों से यह मत बताना की मेरे मारने पीटने के कारण तुम बेहोश हुए हो, बच्चे के पिता अनुज सिंह ने बताया की हम लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर स्कूल शिक्षा के लिए भेजते हैं और वहां पर टीचर द्वारा यदि बच्चों के साथ ऐसा कृत्य किया जाएगा तो कैसे कोई इन जैसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेगा वही बच्चे के पिता ने बताया की उन्हें भी इस घटना की जानकारी नहीं थी की उनके बच्चे को टीचर द्वारा मारा गया था जिसके कारण वह बेहोश हो गया था, सवाल यह उठता है की इस उमस भरी गर्मी एवं चिलचिलाती धूप में भारी भरकम स्कूल बैग लादकर मासूम बच्चे स्कूल पहुँचते हैं उसके बाद ऐसे बुरा तरह से टीचर द्वारा मारा जाएगा तो कोई भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती हैं जैसे आज श्रेयांश के साथ हुआ है, जिला प्रशासन को ऐसे लापरवाह स्कूल टीचर एवं स्कूल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना अति आवश्यक हैं, जिससे अन्य कोई मासूम ऐसे बेरहम टीचर की कोप का शिकार होने से बच सकें।

भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह सम्पन्न

A photograph showing a group of approximately ten men standing on a stage. They are dressed in traditional Indian attire, with many wearing yellow shawls over white shirts and dark trousers. The stage is decorated with a red carpet and a green cloth. In the background, there is a large banner with text in Hindi. The banner includes the name 'Shri Vaastu Raksha Samiti' and 'नवसंवत्सर अवधेश गिरीश यादव जी'. There are also portraits of several individuals. The overall setting appears to be a formal event or ceremony.

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : नीरज श्रीवास्तव अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सचिव बबीता जायसवाल महिला संयोजिका शरद साहू कोषाध्यक्ष पद की ली शपथ भारत विकास परिषद का ७वा दायित्व ग्रहण समारोह कटघरा स्थित सत्या उपवन लान में सम्पन्न हुआ मुख्य अतिथि के रूप में आये माननीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चन्द्र यादव जी एव विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती माया टंडन जी एव पूर्व अध्यक्ष दिनेश टंडन जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का सुभारम्भ किया गया तत्पश्चात पिछले सत्र में अध्यक्ष अवधेश गिरी द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों के लिए सभी प्रकल्प प्रमुखों को सम्मानित किया गया इसके बाद अध्यक्ष अवधेश गिरी सचिव सतोंद्र अग्रहरी कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल एव महिला संयोजिका ममता साहू द्वारा अपने सत्र में हुए कार्यों की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इसके बाद नए सत्र के लिए काशी प्रान्त से आये प्रान्तीय उपाध्यक्ष प्रवीण पटेल जी एव वित्त सचिव अनिल सिंह ने अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव सचिव दिलीप जायसवाल महिला संयोजिका बबीता जायसवाल एव कोषाध्यक्ष शरद साहू को पद व कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। तत्पश्चात अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव द्वारा अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एव कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। प्रान्तीय पदाधिकारीयों द्वारा नए सदस्य के रूप में सत्यप्रकाश जायसवाल कृष्ण

कुमार जायसवाल विकास गुप्ता शैलेन्द्र निषाद पंकज सिंह प्रभात भाटिया दिलीप सिंह पंकज सिन्हा प्रदीप श्रीवास्तव आशीष श्रीवास्तव राजीव श्रीवास्तव अजय कुमार गुप्ता विवेक सिंह रणजीत सिंह को पद एव कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि गिरीश यादव जी ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति एव मूल्यों पर आधारित यह संस्था समाज में वंचितों असहायों एव वनवासीयों के लिये अच्छा कार्य कर रही हैं विशिष्ट माया टंडन जी ने बधाई देते हुए कहा

बाल विवाह रोकने हेतु होगी आवश्यक कार्यवाही

जौनपुर सू.वि. : जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी है। ज्ञात हो कि अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को होनी है। सामाजिक परंपराओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन शुभ होता है अतः इस दिन अधिकतर विवाह सम्पन्न होते हैं जिसमें बाल विवाह भी सम्मिलित होते हैं। बाल विवाह समाज की एक कुरिति है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन की मंशा है कि अक्षय तृतीया के पूर्व आमजनमानस को जागरूक किया जाये जिससे बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को दूर किया जाये। तत्क्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बाल विवाह पर अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम कराते हुए संभावित बाल विवाह वाले परिवारों को चिन्हित कराएं एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से परिवार के परामर्श उपलब्ध कराएं। आवश्यकता होने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचित किया जाए और विशेषज्ञ काउंसिलिंग परिवार को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात भी कोई विवाह होता पाया जाता है तो जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचित किया जाए। जिला प्रोबेशन कार्यालय की टीम 24 घंटे बाल विवाह रोकने हेतु तैयार है। अगर शिकायत प्राप्त होता है तो यह टीम मौके पर जाकर शिकायत की जांच करेगी एवं दस्तावेजों का अवलोकन करेगी, तत्पश्चात बाल विवाह

खोराबार में एक परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या

गोरखपुर मडल प्रभारी आशुतोष चौधरी : खाराबार के रायगंज निवासी मानिषाद पत्नी संजू देवी और उनकी बेटी प्रीति की गला काटकर लगभग त 9:00 बजे हत्या कर दी गई। गामा निषाद के भाई रामा निषाद के घर र शादी थी। शादी में शरीक होने परिवार के साथ गामा निषाद जा रहे थे घात लगा कर बैठे अपराधियों ने तीनों पर हमला बोल दिया। मृतक गामा निषाद उम्र 42, उनकी पत्नी संजू देवी उम्र 38 वर्षीय व 20 वर्षीय बेटी प्रीति औ गला काटकर रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास हत्या कर दी गई। गामा भाई रामा निषाद निवासी रायगंज के घर पर बेटी की शादी थी। आज टकोड़वा था। गामा अपनी पत्नी व बेटी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने दिल ही जा रहे थे। रास्ते में घात लगाकर धारदार हथियार से प्रहार कर गला काट दिया गया। यह घटना रामा निषाद के घर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर हुई है। एक बेटा अच्छेलाल बच गया क्योंकि वह दूसरे रास्ते से कार्यक्रम में जा रहा था। एक और बेटा बाहर रहता है। गामा बंगला चौराहे पर मकान बनवाकर रहते थे। एसएसपी डॉ विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण मार विश्नोई, सीओ कैन्ट श्यामदेव बिंद मौके पर मौजूद हैं। डेडबॉडी थाने पर गयी गयी है। हत्या के कारणों व आरोपियों का पुलिस पता लगा रही है। मौके पर फोर्स तैनात है। क्राइम ब्रांच व फॉरेंसिक भी मौके पर है। एक छोटी बेटी लगायी गयी थी वह बच गयी है।

जिलाधिकारी द्वारा तहसील सदर का किया गया औचक निरीक्षण

जौनपुर सू.वि. : जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा सोमवार को हसील सदर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी के द्वारा विभिन्न पटलों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। रिकार्ड रूम में स्थिति सही पाई गई। उन्होंने पाया कि 2009-2012 से दाखिल खारिज मुकदमे पैंडिंग है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की कोर्ट की स्थिति चारबाह है। बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज अनावश्यक रूप से निरस्त कर दिए गए हैं, निरस्त पर तत्काल रोक लगाई गई। सभी उपनिवेशक को निर्देशित किया कि बैनामे की कॉपी के साथ क्रेता का साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि न होने का शपथ पत्र प्रेषित किया जाए। इस दौरान तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की समीक्षा भी की गई और निर्देशित किया गया कि बड़े कायेदारों की लिस्ट रिवाइज कर प्रभावी कार्यवाही की जाए। रजिस्टर नंबर में पुरानी धन राशियों का निस्तारण न करने के लिए नायब, नाजिर को तिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। तहसीलदार और अपर तहसीलदार ने निर्देशित किया गया कि जिन गांव में अधिक वाद लंबित है वहां गांव में बाकर के मौके पर न्यायालय लगाकर वादों का निस्तारण करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व रजनीश राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर हिमांशु नागपाल सहित अन्य उपस्थित रहे।

होटल धर्मशाला लाज गेस्ट हाउस मैरेज हाल लॉन एवं
डीजे० के मालिक प्रबन्धक की उपस्थिति में बैठक संपन्न

जौनपुर सू.वि. : जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में 25 अप्रैल 2022 (मोमवार) को कलेकट्रेट सभाकक्ष में नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तथा नानाध्यक्ष, लाइन बाजार एवं जनपद के समस्त होटल/धर्मशाला/लाज/गेस्ट हाउस/मैरेज हाल/लॉन एवं डी०जे० के मालिक/प्रबन्धक की उपस्थिति में उक्त आहूत की गयी। बैठक में समस्त होटल/धर्मशाला/लाज/गेस्ट हाउस/मैरेज हाल/लॉन एवं डी०जे० के मालिक/प्रबन्धक को दिशा-निर्देश दिया गया और पूछा गया कि क्या आपके प्रतिष्ठान का पंजीकरण हो गया है अथवा नहीं?, क्या अग्निशमन विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त की गयी है अथवा ही?, अग्निशमन यंत्र सम्बन्धित होटल/मैरिज हाल में उपलब्ध है अथवा ही?, कार्यालय विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत कराया गया है अथवा ही?, समस्त होटल/मैरिज हाल में सुरक्षा की दृष्टि से सी०सी०टी०वी० मरा उपलब्ध है अथवा नहीं?, क्या होटल/मैरिज हाल में आगन्तुकों के आगमन पर रजिस्टर/पंजिका में उनकी प्रविष्टि दर्ज की जाती है अथवा ही? के सम्बन्ध में उक्त वांछित सूचना 15 दिन के अन्दर जनपद के समस्त लिक होटल/मैरिज हाल व लान से उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त मालिक/प्रबन्धकों होटल/मैरिज ल/डी०जे० जिसमें विवाह आदि के कार्यक्रम सम्पन्न किये जा रहे हैं, नको यह भी निर्देश दिया गया है कि रात्रि 10.00 बजे तक डी०जे० का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार ही किया जायेगा तथा रात्रि 10.00 बजे बाद डी०जे० का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा यदि किसी व्यक्ति से 10.00 बजे रात्रि के बाद भी डी०जे० बजाये जाने की सूचना प्राप्त हो गी तो उक्त स्थिति में होटल/धर्मशाला/लाज/गेस्ट हाउस/मैरेज ल/लॉन एवं डी०जे० के मालिक/प्रबन्धक के विरुद्ध सुसांगत धाराओं में

यम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थान में दज कराया जायगा। माटों में अनुपस्थित होटल / मैरिज हाल / लॉन के प्रबन्धकों के यहाँ औचक निरीक्षण रखे यदि उपरोक्त मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसपर कार्यवाही दी जायेगी। उक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

प्रधान कार्यालय पर राष्ट्रीय युवा विभिन्न की तैयारी

विवादित जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले पर न्याय की लगाई गहार

अयोध्या (संवाददाता) अयोध्या बीकापुर क्षेत्र गुरुदेव नगर जो मिल्कीपुर ड के किनारे जमीन का मामला है। रामगुलाम पुत्र केसरी प्रसाद ने आरोप गाया कि जो जमीन विवादित थी उसका मुकदमा काफी वर्ष से चल रहा जिसका निस्तारण कमिश्नरी विभाग प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से निस्तारण हो चुका है और आरोप लगाते हुए बताया कि मगर उद्दीन पुर के बाकुर जो पेशे से वकील हैं और भूतपूर्व लेखापाल उनके सगे संबंधी हैं जो लकर जमीन को अपने क्षेत्र में में मिला लिया है जिसको नक्शे में भी दर्शाया या है वह सरासर गलत है। पुराने नक्शे के आधार पर विपक्ष का 5: कटौती पर चकरोट निकालकर रकबा पूरा करने के बाद जो जमीन सड़क के किनारे

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 की तैयारियों हेतु जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

के आधार पर निस्तारित किये जा सकने वाले के निस्तारण एवं प्रभावी कार्यावाही किये जाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उसका निराकरण करावें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में लम्बित मामलों के निस्तारण की संख्या बढ़ाई जा सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) स्तर पर पारिवारिक/दार्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, ए औं वसूली वाद, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जल बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), भरण-पोषण वाद तथा अन्य प्रकार के आपराधिक शमनीय व सिविल वाद तथा न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, ए औं वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जलकर बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वाद को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वार सेवा में वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित विवाद राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) आपराधिक सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। जिला जज द्वारा वादकारियों एवं अधिवक्ता गण राज्य अपील की गयी कि अपने-अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा सम्पर्क स्थापित कर वादों के राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें। बैठक में अपने जिला जज गण, सचिव, सिविल जज सीडीओ/जूडीओ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गणउपस्थित रहे।

जेलास्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति की बैठक संपन्न

जौनपुर सू.वि. : जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता तथा मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति सह जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक सभाकक्ष में आयोजित की गई। लाधिकारी ने बैंकरों को जिले के विकास योजनाओं के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश दिए। अग्रणी जिला प्रबल अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा बैंक के दिसंबर तिमाही यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक की उपलब्धि पर चर्चा गई। इस दौरान सभी बैंक के द्वारा दिसंबर महीने तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की बारी-बारी से समीक्षा गई। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि दिसंबर तिमाही में जिले की साखजमा अनुपात में उपलब्धि 1.11: रही है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को जिले में साख-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है और अगले वर्ष में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपलब्धि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में गत वर्ष से अच्छी रही है साथ में पिछले वर्ष के तुलना लेके की वार्षिक साख योजना में उपलब्धि भी अच्छी रही है परं जिन बैंकों द्वारा साख-जमा अनुपात 40: रहा हासिल हुई है, उनके ऊपर जिलाधिकारी ने काफी नाराजगी व्यक्त की साथ ही जिन बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना की उपलब्धि 25: से कम थी, उनके ऊपर भी जिलाधिकारी द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि अगले वर्ष में जिले में और सुधार करते हुए वार्षिक साख योजना, साथ मा अनुपात, सरकार प्रायोजित योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप डेया, मुद्रा योजना के साथ प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिसके तहत एमएसबीवाई, पीएमजे जेबीवाई, जन धन योजना एवं अटल पैंशन योजना में जिले की उपलब्धि अच्छी हो जाए। उनके लिए जिलाधिकारी ने प्रथम तिमाही से ही लक्ष्य के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर अच्छे तरीके से काम करें, जिससे जिले की उपलब्धि बढ़ सके। जिलाधिकारी द्वारा यूनियन बीमा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (त्यूज) द्वारा किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी समीक्षा की गई। त्यूज द्वारा लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जिले में बेहतर तरीके से काम को करने के लिए सभी बैंक शाखाओं को केसीसी नरण को और बढ़ने के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पशुपालन तथा मत्स्य संबंधी केसीसी नरण करने को निर्देशित किया गया साथ ही सभी जिला समन्वयकों को अपने शाखा की उपलब्धि को तिमाहीवारी तिरपोर्ट के साथ समीक्षा करने और डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बैंकर साख-जमा अनुपात एवं वार्षिक ऋण योजना में और तेजी लाने का निर्देश दिया, साथ ही सभी बैंकों का नीतीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक ऋण योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करने एवं ऋण जमा अनुपात को 40% लाने की कार्यनीति बनाने का निर्देश दिया। डीडीएम नाबार्ड आरिफा सुल्तान द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि आधारभूत फंड (एष्ट) के तहत बैंकों को ऋण प्रदान करने की सलाह दी गई, ताकि जिला कृषि क्षेत्र में पूंजी सृजन को बढ़ावा मिले। जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग एवं पशुपालन विभाग उचित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया एवं लंबित ऋण संबंधी आवेदनों को को जल्द से जल्द निपटाने का भी आदेश दिया। साथ ही अस्वीकृत मामलों में कारण सहित प्रतिवेदन जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा के अलावा डीडीएम नाबार्ड आरिफा सुल्तान, एलडीओ, आरबीआई अनिल कुमार मिश्रा, डीसी एनआरएलएम ओ पी यादव, वित्तीयसाक्षरता परामर्शदाता कमलेश यादव, त्यूज प्रतिनिधि अभियेक कुमार, सभी बैंकों के जिला समन्वयक सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी यथा जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी, प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, आदि शामिल हुए। इसी मीटिंग में वार्षिक कार्य योजना पुस्तिका 2022–2023 का भी विमोचन जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी तथा उपस्थित व्यक्तियों द्वारा किया गया।

कलेक्ट्रेट सभागार में अनुश्रवणार्थ प्रशासकीय व्यवस्था हेतु बैठक संपन्न

जैनपुर सू.वि. : जिलाधिकारी वर्ष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक दर्जे ट सभागार में थाई/स्थाई गो—आश्रय स्थल स्थापना व संचालन प्रबंधन के श्रवणार्थ प्रशासकीय व्यवस्था बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न गोआश्रय स्थलों को गल पूर्ण कराकर उनमें गोवंश क्षिति किये जाने, जिन न्याय विधयों में गोआश्रय का निर्माण है, वहाँ एक सप्ताह के अन्दर गोला का निर्माण कराकर जिसमें प्रतिशत निराश्रित गोवंश को क्षिति करायें जाने, जनपद में विभिन्न गोआश्रय स्थलों पर विद्युत वशन तत्काल पूर्ण कर वस्तुति से अवगत कराने, सुपुर्दगी नानात्तर्गत गोवंश को अधिक सेवक संख्या में सुपुर्दगी किया जा, प्रत्येक उप मुख्य पशु केत्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सह में गोवंश सुपुर्दगी करना विभिन्न सुपुर्दगी कराया गये लाभार्थियों वधनराशि भी दिलाना सुनिश्चित है। यदि कहीं भी गोवंश की प्यास/दुघटना/चिकित्सा के बाव में मृत्यु होती है, तो सम्बन्धित विरुद्ध कार्यवाही किये जाने, द गोसंरक्षण केन्द्र को संचालन शासन के मंशानुसार ०३०००५० (अनुबन्ध) पर चर्चा जाने, यदि किसी कृपा/पशुपालन द्वारा पशुओं को डां जाता है। तो इस सम्बन्ध में वर्धवाही किया जाना कृति किया जाना विद्युत विभाग के आकारी, ग्राम पंचायत सचिव और पशुचिकित्सा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि समन्वय स्थापित करते हुए सभी गोआश्रय स्थल पर बिजले की व्यवस्था करायी जाय। सभी नगर पालिका/पंचायत राजि भ्रमणकर छूटा पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थल में भेजवाएं गोशाला की सूची थानों पर भेजवाएं दिया जाय, जिससे गोवंश को देख-रेख की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तहसील स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय बैठक सुनिश्चित करा ली जाय। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया है कि वर्तमान के गेहूं की कटाई का कार्य किया जा रहा है जो भ्रमणवासी, कृषक एवं दानदात भूसा दान देना चाहते हैं वे निकाल की गोआश्रय स्थलों पर दे सकते हैं। इसके लिए जिलाधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी दानदात है उनसे सम्पर्क कर दान स्वरूप प्राप्त भूसे की सूची भी उपलब्ध कराये। कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, जिला विकास अधिकारी बी०१००५० सिंह, जिला अधिकारी एवं संख्याधिकारी रामदरश यादव जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार सहित खण्ड विकास अधिकारी, पुश्चिकित्सा अधिकारी सहित

